वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली– 110001

सं.4–10/8/1/जेसीएम/2025/एचआर–III   दिनांक: 23/07/2026

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>/ OFFICE MEMORANDUM

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (सेवा संघों की मान्यता) नियमावली, 1993 के सीएसआईआर कर्मचारियों पर यथाप्रयोज्य प्रावधानों के अधीन, "सीएसआईआर–सीआरआरआई ग्रुप–II सेवा संघ" को मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में।

Sub: Recognition of Service Association namely "CSIR-CRRI Group-II Service Association ' under CCS (RSA) Rules, 1993 as made applicable to CSIR employees -reg.

माननीय उपाध्यक्ष, सीएसआईआर ने केंद्रीय सिविल सेवा (सेवा संघों की मान्यता) नियमावली, 1993, जो सीएसआईआर कर्मचारियों पर यथाप्रयोज्य हैं, के नियम 5(d)(i) में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति किए जाने के फलस्वरूप, सीएसआईआर–केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), मथुरा रोड, नई दिल्ली में गठित "सीएसआईआर–सीआरआरआई ग्रुप–II सेवा संघ" को संस्थान में ग्रुप–II कार्मिकों की कुल संख्या के न्यूनतम 35 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम संघ के रूप में सहर्ष मान्यता प्रदान की है।

The Hon'ble Vice-President, CSIR has been pleased to grant the recognition of "CSIR-CRRI Group-II Service Association' formed at CSIR- Central Road Research Institute, Mathura Road, New Delhi fulfilling the condition laid down under Rule 5 (d)(i) of CCS(RSA) Rules, 1993 as the first Association representing minimum 35% of the total strength of the category of Group-II staff in the Institute.

उक्त संघ को प्रदान की गई मान्यता, संघ द्वारा उक्त नियमों के नियम 5, 6 तथा 7 के प्रावधानों का अनुपालन किए जाने की शर्त के अधीन, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी। उक्त नियमावली में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में, उक्त नियमावली, 1993 के नियम 8 के अधीन मान्यता वापस ले ली जाएगी।

The recognition of the said Association will be valid from the date of issue of this OM subject to observance of Rules 5, 6 & 7 of the said Rules by the Association. Non-observance of the conditions set out in the said Rules will result in withdrawal of recognition under Rule 8 of the said Rules, 1993.

वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संघ के सदस्यों से देय वार्षिक सदस्यता शुल्क की वसूली उनके वेतन से की जाए तथा उसकी राशि उक्त संघ द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रेषित की जाए।

Sr.COA/CoA/AO shall ensure recovery of annual subscription of the members from their salaries and remit to the representative authorized by the said Association.

सतीश
23/07/2026
(सतीश कुमार/ Satish Kumar)
उप सचिव/ Deputy Secretary

O/C

सेवा में/To

अध्यक्ष/The President, (Sh. Aniket Ranjan, Tech-2)
सीएसआईआर–सीआरआरआई ग्रुप–II सेवा संघ/CSIR-CRRI Group-II Service Association
सीएसआईआर–केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CSIR- Central Central Road Research Institute.
मथुरा रोड/Mathura Road
नई दिल्ली–110025/ New Delhi - 110025

......2

प्रतिलिपि/copy

1. निदेशक, सीएसआईआर–सीआरआरआई, नई दिल्ली/Director, CSIR-CRRI, New Delhi
2. वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी, सीएसआईआर–सीआरआरआई, नई दिल्ली/Sr.CoA/AO. CSIR-CRRI, New Delhi
3. वित्त एवं लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखा अधिकारी, सीएसआईआर–सीआरआरआई, नई दिल्ली/CoFA/F&AO, CSIR-CRRI, New Delhi
4. सभी मान्यता प्राप्त सेवा संघ/All recognized Service Associations
5. संयुक्त सचिव (प्रशा.), सीएसआईआर/Joint Secretary (Admin), CSIR
6. विधि सलाहकार, सीएसआईआर/ Legal Adviser, CSIR
7. सचिव, जेसीएम (कर्मचारी पक्ष), सीएसआईआर–सीएसआईओ/Secretary, JCM (Staff side), CSIR-CSIO
8. प्रमुख, आईटी प्रभाग–इस कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ/ Head, IT Division –With the request to upload this OM on CSIR website